

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पत्रांक 357/विकास कार्य/नि0सू0/2023-24

दिनांक 15/7/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारो/ फर्मो जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 01 विकास कार्य को करने हेतु निविदा फार्म/ बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु मुहरबन्द ऑफ लाईन अल्पकालीन निविदा प्राधिकरण कार्यालय में स्थित टैंडर बाक्स के माध्यम से दिनांक 28.07.2023 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन दिनांक 28.07.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे के उपरान्त निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष प्राधिकरण के सभागार में खोली जायेंगी। इस कार्य हेतु निविदा दिनांक 18.07.2023 से दिनांक 27.07.2023 को अपरान्ह 2.00 बजे तक क्य की जा सकती है।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रू0 1180/- (जी0एस0टी0 सहित) की धनराशि का पे-आर्डर (30 दिन से पूर्व का न हो) तथा सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0 / एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधीक्षण अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा। धरोहर राशि रहित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या 1197/11(2)/0.7-75 (सामान्य)/11 दिनांक 24-2-2014 के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनु0 लागात (लाख)	धरोहर राशि	समय (माहो में)
1	धर्मपुर विधान सभा के अन्तर्गत बंजारावाला फेस-3, गली न0-10 में श्री देव सुमन मार्ग, टी स्टेट में इन्टर लाकिंग टाईल्स व नाली का निर्माण कार्य।	7.83	23,500.00	02

अधीक्षण अभियन्ता

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।
- 2-मुख्य लेखाधिकारी म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।
- 3-अधिशासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।
- 4-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 5-नाजिर म0दे0वि0प्रा0 को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें।
- 6- आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 7-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 8-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।